

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 668 / 14

संस्थापन दिनांक : 24.07.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—देवा उर्फ देवेन्द्रसिंह गुर्जर पुत्र जगदीशसिंह गुर्जर
उम्र 40 साल निवासी मतू का खोड़ थाना गोहद
चौराहा जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 338 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स. एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 21.06.14 को 09:30 बजे ग्वालियर रोड बीयर बार के सामने थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक डी.एल.-75-ए.जी.-8140 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना परव्यक्ति जोखिम बीमा के चलाया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.06.14 को 09:30 बजे दिन में फरियादी संजीव अ0सा01 अपने बहनोई के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.ए.8956 से गोहद चौराहा तरफ से सुमेर कॉलोनी जा रहा था भिण्ड तरफ से मोटरसाइकिल क्रमांक डी.एल.-75-ए.जी.-8140 का चालक अपनी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके बहनोई की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके बहनोई की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके बहनोई दाताराम अ0सा01 के बांये

पैर की पिंडरी से पंजा तक चोट लगी। वह बहनोई को 108 एम्बुलेंस से गोहद अस्पताल ले गया था। मौके पर बड़ेलाल माहौर निवासी बिरखड़ी के थे। तत्पश्चात् फरियादी संजीव अ0सा01 ने थाना गोहद चौराहे में आरोपी के विरुद्ध एफ.आई.आर. प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से अप0क्र0 163/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :-
 1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.06.14 को 09:30 बजे ग्वालियर रोड बीयर बार के सामने थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक डी.एल.-75-ए.जी.-8140 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?
 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना परव्यक्ति जोखिम बीमा के चलाया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी दाताराम अ0सा01 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व वह मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.ए.8956 से अपने घर जा रहा था। तब उसकी गाड़ी बहककर बाउण्ड्रीबाल में भिड़ गयी जहां उसके साले संजीव व बड़ेलाल खड़े थे जिन्होंने एम्बुलेन्स को बुला लिया। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 21.06.14 को आरोपी देवेन्द्र ने मोटरसाइकिल क्रमांक डी0एल0-75-ए.जी.8140 को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी कथन प्र0पी-1 में दिए जाने से इंकार किया है।
6. अभियोजन साक्ष्य में आहत दाताराम ने मात्र स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया है और आहत साक्षी के रूप में उसके कथन महत्वपूर्ण हैं। परन्तु उसके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने से इंकार किया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण आहत साक्षी द्वारा ही स्वयं को आई चोटें आरोपी के उपेक्षापूर्वक वाहन परिचालन से आना नहीं बताया है। जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 21.06.14 को 09:30 बजे ग्वालियर रोड बीयर बार के सामने थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक डी.एल.-75-ए.जी.-8140 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना परव्यक्ति जोखिम बीमा के चलाया।
7. परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

9. प्रकरण में जप्त वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक डी.एल.-75-ए.जी.-8140 आवेदक देवेन्द्रसिंह की सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)